संख्या-168/2026/121/35-4-2026/35-4099 /103/2021

प्रेषक,
अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
औरैया।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक, 23 जुलाई, 2026

विषयः जनपद औरैया में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत वितीय वर्ष 2021-22 में जनपद औरैया में शासनादेश संख्या-308/2021/2157/35-4-2021 दिनाक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा 02 कार्यों की रु० 94.88 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रु0 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- आपके पत्र सख्या-685/ग्रा०अ०वि०/संगणक/त्व०आ०वि०/द्वि. किश्त/2025-2026 दिनांक 13 जनवरी, 2026 द्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत प्रश्नगत 02 कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी पूर्ण धनराशि का व्यय होना एवं बचत की धनराशि का उल्लेख करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः एतद्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 02 कार्यों हेतु गठित अनुबंध के आधार पर इंगित बचत की धनराशि एवं जीएसटी की धनराशि के अनुसार कार्यों की लागत को रु. 84.55 लाख की लागत पर पुनरीक्षित किये जाने तथा कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रु० 54.55 लाख (रुपये चौवन लाख पचपन हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध की लागत	अनुमन्य जी0एस0टी की धनराशि	पुनरीक्षि त लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	सरैया दौलतपुर से मल्लाहन का अडडा आबादी भाग में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	46.60	35.69	6.42	42.11	15.00	27.11
2	कसापाल से रहटौली मार्ग के सुदृढीकरण का कार्य।	48.28	36.60	5.84	42.44	15.00	27.44
	योग-	94.88	72.29	12.26	84.55	30.00	54.55

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करते हुए नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध काराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ०प्र० में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करते हुए कार्यपूणता का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रु० 54.55 लाख (रुपये चौवन लाख पचपन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव

<u>संख्या: 168/2026/121(1)/35-4-2026/35-4099/103/2021 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ०प्र०शासन ।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी. उ०प्र०शासन ।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5 उ0प्र0 शासन।
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, औरैया।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, औरैया।
14-गार्ड फाईल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

www.shasanadesh.up.gov.in

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।